

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-॥, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितंबर, 2015

का.आ. (अ).- केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-॥, खंड-3, उपखंड (ii) में तारीख 18 सितंबर, 2014 को प्रकाशित भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2425(अ) तारीख 18 सितंबर, 2014 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में क्रम संख्या (2), (4) और (7) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

- | | |
|--|--|
| “(2) श्री प्रमोद कुमार भट्ट, अध्यक्ष,
भारतीय लागत लेखाकार संस्थान
के नामनिर्देशिति | सदस्य
[धारा 210क की उपधारा (2) के
खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट] |
| (4) श्री मनोज फड़निस, अध्यक्ष,
भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान
के नामनिर्देशिति | सदस्य
[धारा 210क की उपधारा (2) के
खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट] |
| (7) महानिदेशक (वाणिज्यिक),
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
के नामनिर्देशिति | सदस्य
[धारा 210क की उपधारा (2) के
खंड (ख) के अधीन
नामनिर्दिष्ट]।” |

3. उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 2 में “एक वर्ष” शब्दों के स्थान पर “दो वर्ष” शब्द रखे जाएँगे।

[फा.सं.1/5/2001-सीएल-V (पार्ट-V)]

अमरदीप सिंह
10/09/15
अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-॥, खंड-3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ. 2425(अ) तारीख 18 सितंबर, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात का.आ. 1319(अ) तारीख 18 मई, 2015 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART
II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
Notification

New Delhi, the 10th September 2015


S.O..... (E):- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 210A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs number S.O.2425 (E) dated the 18th September, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 18th September, 2014, namely:-

2. In the said notification, in paragraph 1, for serial numbers (2), (4) and (7) and entries relating there to, the following shall be substituted namely:-

- | | |
|--|---|
| “(2) Shri Pramod Kumar Bhattad,
President, nominee of The Institute of
Cost Accountants of India | Member,
[nominated under clause (b) of
sub-section (2) of section 210A] |
| (4) Shri Manoj Fadnis, President,
Nominee of The Institute of Chartered
Accountants of India | Member,
[nominated under clause (b) of
sub-section (2) of section 210A] |
| (7) Director General (Commercial),
Nominee of Comptroller and Auditor General of India | Member,
[nominated under clause (e) of
sub-section (2) of section 210A].” |

3. In the said notification, in paragraph 2, for the words “one year” the words “two years” shall be substituted.

[F.No. 1/5/2001-CL-V (Part V)]


AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide numbers S.O.2425(E) dated the 18th September, 2014, and subsequently amended vide S.O.1319(E) dated the 18th May, 2015.